

देवघर समाहरणालय  
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या 2507/भू अ0

दिनांक : 25.07.17

चूँकि झारखण्ड सरकार /समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-सियाजोर, थाना-देवघर, थाना सं०-631, अंचल-देवघर, जिला -देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना देवघर-मधुपुर पथ उन्नयन परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम -सियाजोर, थाना -देवघर, थाना सं०-631, अंचल-देवघर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.97 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

क. सं.	खा ता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4	68	रैयती	बाड़ी-2	0.01	हुरो पंडित वो छोटेलाल पंडित पे० स्व० छुट्टु पंडित	प्लॉट नं०-2	प्लॉट नं०-2	प्लॉट नं०-25,	सड़क
2	4	78	रैयती	धानी-3	0.03	तथैव	3, 28, 42	7, 28, 42, 43	29, 41, 53	
3	4	67	रैयती	धानी-3	0.035	अर्जुन पंडित वो लालगोविन्द पंडित वो खोशो पंडित पे० स्व० अनन्दी पंडित।				
4	4	79	रैयती	धानी-3	0.03	तथैव				
5	1	75	रैयती	धानी-3	0.015	धनु पंडित वो चन्द्रमणी पंडित वो रितलाल पंडित वो केशव पंडित वो दुखन पंडित पे० स्व० चुटर पंडित वो मीणा देवी पति स्व० त्रिलोकी पंडित वो मेघलाल पंडित वो पियारी पंडित वो तुला पंडित पे० स्व० नवीन पंडित				
6	1	76	रैयती	धानी-3	0.015	तथैव				
7	1	95	रैयती	धानी-3	0.095	तथैव				
8	1	102	रैयती	मकान	0.04	तथैव				
9	2	77	रैयती	धानी-3	0.025	गंगाधर पंडित पे० घनश्याम पंडित वो मुरलीधर पंडित वो त्रिपुरारी पंडित पे० स्व० चानो पंडित वो चुटी देवी पति स्व० लुटन पंडित वो लोकनाथ पंडित पे० स्व० निरो पंडित वो शंतु पंडित माता स्व० पुरणी पंडिताईन वो भैरो पंडित माता स्व० चितनी पंडिताईन				
10	2	110	रैयती	बाड़ी-2	0.19	तथैव				
11	3	94	रैयती	धानी-3	0.035	सहदेव पंडित वो गणेश पंडित पे० स्व० नुनेश्वर पंडित				
12	8	111	रैयती	बाड़ी-2	0.075	तथैव				
13	4	103	रैयती	धानी-3	0.035	अर्जुन पंडित वो लालगोविन्द पंडित वो खोसो पंडित पे० स्व० आनन्दी पंडित वो हुरो पंडित वो छोटेलाल पंडित पे० स्व० छुट्टु पंडित वो नागेश्वर पंडित वो भुमेश्वर पंडित पे० स्व० लुती पंडित।				

14	4	104	रैयती	बाड़ी-2	0.045	तथैव				
15	4	112	रैयती	बाड़ी-2	0.06	तथैव				
16	4	162	रैयती	धानी-3	0.23	तथैव				
17	4	164	रैयती	बाड़ी-2	0.005	नागेश्वर पंडित वो भुमेश्वर पंडित पे0 स्व0 लुती पंडित				
कुल रकवा-					0.97					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

*K*  
24/7/17

24/7/17  
जिला भू अर्जन पदाधिकारी  
देवघर

24-07-2017  
उपर समाहर्ता  
देवघर

24/7/17  
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।

ज्ञापांक ..... / भू अ0, देवघर, दिनांक ..... 25-07-17

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

*K*  
24/7/17

24/7/17  
जिला भू अर्जन पदाधिकारी  
देवघर

24-07-2017  
उपर समाहर्ता  
देवघर

24/7/17  
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।